सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर—272202 उ0प्र0(भारत)
Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक— 1145 / कु0स0का0 / सि0वि0वि0 / 2025 दिनांक—09—12—2025

सेवामें,

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त, सम्बद्ध महाविद्यालय,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय :— राज्य सलाहकार बोर्ड की विगत (षष्ठम) बैठक दिनांक 15—07—2025 के कार्यवृत्त में उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही / अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ पत्र संख्या—2991 / सत्तर—3—2025—1891544 दिनांक 09 दिसम्बर, 2025 (पत्र संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सलाहकार बोर्ड की विगत (षष्ठम) बैठक दिनांक 15—07—2025 के कार्यवृत्त में उल्लिखित उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं (दिव्यांगजनों हेतु महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों में रैम्प, लिफ्ट एवं बाधा रहित / दिव्यांगजन हितैषी शौचालय निर्माण कराये जाने हेतु अनुपालन आख्या) पर कृत कार्यवाही / अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपके महाविद्यालय में दिव्यांगजनों हेतु रैम्प, लिफ्ट एवं बाधा रहित / दिव्यांगजन हितैषी शौचालय निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में 02 दिन के अन्दर अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे सम्बन्धित सूचना ससमय शासन को प्रेषित किया जा सकें।

संलग्नक— यथोपरि।

09/12/25

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक— / तददिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
4. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

समयबद्ध

संख्या- 2991/सत्तर-3-2025-1891544

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ०प्र०।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 09 दिसम्बर, 2025**

विषय- राज्य सलाहकार बोर्ड की विगत (षष्ठम्) बैठक दिनांक 15.07.2025 के कार्यवृत्त में उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही/ अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन संख्या 47/2025/65-3099/646/2019, दिनांक 21 नवम्बर, 2025 (छायाप्रति संलगन) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा-66 के अन्तर्गत मा० मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० की अध्यक्षता में दिव्यांगता पर गठित राज्य सलाहकार बोर्ड की षष्ठम् बैठक दिनांक 15.07.2025 के कार्यवृत्त में उल्लिखित अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या तत्काल उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- सूच्य है कि शासन के पत्र संख्या -2883/सत्तर-3-2025, दिनांक 14-11-2025 द्वारा कार्यवृत्त संख्या-464/65-3-2025-464/65-3-2025-01/2028, दिनांक 30.07.2025 के निर्देशानुसार से महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में रैम्प, लिफ्ट एवं बाधा रहित/दिव्यांगजन हितैषी शौचालय निर्माण कराये जाने हेतु अनुपालन आख्या (कार्यवाही की तथ्यात्मक आख्या ,अवशेष कार्यवाही की सूचना ,कार्ययोजना एवं लक्ष्य पूर्ति योजना की रिपोर्ट के साथ) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशानुसार से महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में रैम्प, लिफ्ट एवं बाधा रहित/दिव्यांगजन हितैषी शौचालय निर्माण कराये जाने हेतु अनुपालन आख्या (की गयी कार्यवाही की तथ्यात्मक आख्या के साथ, अवशेष कार्यवाही की सूचना, कार्ययोजना एवं लक्ष्य पूर्ति योजना की रिपोर्ट के साथ) तथा कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को लखनऊ विश्वविद्यालय तथा टैगोर पुस्तकालय में रैम्प/लिफ्ट/दिव्यांगजन हितैषी शौचालय की अद्यावधिक प्रगति की सूचना शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। परन्तु आख्या उक्त निर्देशानुसार अप्राप्त है।

Digitally signed by
SHAKIL AHMAD SIDDIQUI
Date: 08-12-2025
14:35:04

3- इस सम्बन्ध मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में शासन के उक्त पत्र दिनांक 14-11-2025 के अनुसार अपेक्षितआख्या /सूचना प्रत्येक दशा में शासन को दिनांक 09.12.2025 तक **निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज** के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। **राज्य सलाहकार बोर्ड की आगामी बैठक माह दिसम्बर** (06 माह) **में सम्भावित है। अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।**

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित को निर्देशित करने तथा कार्यवृत्त दिनांक 15.07.2025 की अनुपालन आख्या (की गयी कार्यवाही की तथ्यात्मक आख्या के साथ अवशेष कार्यवाही की सूचना, कार्ययोजना एवं लक्ष्य पूर्ति योजना की रिपोर्ट के साथ) संकलित कर शासन को दिनांक 09.12.2025 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)

संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3
संख्या-747/2025/65-3099/646/2019
लखनऊ, दिनांक 21 नवम्बर, 2025

4409
संख्या........./VIRPSHED/2025
दिनांक 24/11/2025

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
औद्योगिक विकास विभाग/नगर विकास विभाग/ बेसिक शिक्षा विभाग/
उच्च शिक्षा विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/ खाद्य एवं रसद विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम -2016 की धारा-66 के अन्तर्गत मा0 मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 की अध्यक्षता में दिव्यांगता पर गठित राज्य सलाहकार बोर्ड की षष्ठम् बैठक दिनॉक 15.07.2025 के कार्यवृत्त में इंगित बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक दिव्यागजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के पत्र संख्या-464/65-3-2025-01/2018 दिनॉक 30.07.2025 एवं अनुस्मारक पत्र दिनांक 19.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दुओं के संदर्भ में अनुपालन आख्या अभी तक अप्राप्त है।

सचिव

2- अवगत कराना है कि है कि राज्य सलाहकार बोर्ड की विगत (षष्ठम) बैठक दिनॉक 15.07.2025 के कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या प्राप्त न होने के दृष्टिगत प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 11.11.2025 को बैठक आहूत की गयी, जिसमें प्रमुख सचिव महोदय द्वारा अपने विभाग से संबधित बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या दिनॉक 15.11.2025 तक उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु अभी तक अनुपालन आख्या अप्राप्त है।

24/11/2025
(एम० पी० अग्रवाल)
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा
उत्तर प्रदेश

अतएव अनुरोध है कि कृपया राज्य सलाहकार बोर्ड की उक्त बैठक दिनॉक 15.07.2025 के कार्यवृत्त में उल्लिखित अपने विभाग से संबधित बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या तत्काल उपलब्ध कराये जाने हेतु संबधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें। राज्य सलाहकार बोर्ड की आगामी बैठक माह दिसम्बर (06 माह) में सम्भावित है। अत: आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

(अमरनाथ उपाध्याय)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनॉक तदैव:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।
2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार यादव)
उप सचिव।

1576/S(AT)/25
VS

(अमृत त्रिपाठी)
सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

5259/VS(T)/2025
JS
25.11.25
(अम्बर लाल)
निजी सचिव
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उ० प्र० शासन

27.11.2025
अनु० सचिव-3
28.11.25